न्यायालय सत्र न्यायाधीश, फतेहपुर।

उपस्थित: सुधीर कुमार–V एच0जे0एस0

(J.O. Code- UP 6546)

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 1028 सन 2026

(CNR No. UPFT-010026512026)

मुन्ना उर्फ महेश पुत्र स्व0 गणेश प्रसाद शुक्ला निवासी मकान नम्बर 126डी, विश्व बैंक बर्रा, थाना बर्रा जनपद कानपुर नगर।

..... आवेदक/अभियुक्त

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य

..... अभियोजक

अपराध संख्या: 56 सन 2018

मुकदमा नम्बर:18393 सन 2022

धारा: 406, 420 भारतीय दण्ड संहिता

थाना: बकेवर, जनपद फतेहपुर।

13.07.2026 :

आवेदक/अभियुक्त मुन्ना उर्फ महेश की ओर से यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र मुकदमा अपराध संख्या 56 सन 2018, मुकदमा नम्बर 18393 सन 2022 अन्तर्गत धारा 406, 420 भारतीय दण्ड संहिता थाना बकेवर जनपद फतेहपुर के मामले में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से स्वयं आवेदक/अभियुक्त द्वारा इस आशय का शपथपत्र दिया गया है कि इस न्यायालय में अभियुक्त का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र है, अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय या अन्य किसी न्यायालय में न तो दिया गया, न विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है।

अभियोजन कथानक के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा रामविशाल ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या–12, फतेहपुर के न्यायालय में एक प्राथनापत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता इस आशय का प्रस्तुत किया कि वह मुन्ना उर्फ महेश को काफी दिनों से जानता पहचानता है तथा उससे मुन्ना उर्फ महेश ने कहा कि उसकी मॉ कमला देवी स्माल हारनस फैक्ट्री में काम करती थी एवं उनकी पहुंच उत्तर प्रदेश शिक्षा सचिव से है, इसी कारण मुन्पा उर्फ

महेश व कमला देवी दिनांक 16.09.2015 को उसके गांव आकर उसके मकान में शिक्षा विभाग में चपरासी व क्लर्क की नौकरी दिलाने हेतु विक्रम से तीस हजार रूपये, धीरज से तीस हजार रूपये, सुरेन्द्र से तीस हजार रूपये एवं उसके लड़के सुधीर कुमार से पचास हजार रूपये एवं दूसरे लड़के अमित कुमार से तीस हजार रूपये, अरविन्द से तीस हजार रूपये, आशीष से तीस हजार रूपये, अमित से बीस हजार रूपये, सविनय से बीस हजार रूपये, विपिन से तीस हजार रूपये, उसके दामाद रोहित सचान से बीस हजार रूपये, सुरेश से इक्तीस हजार रूपये, अश्वनी से पचपन हजार रूपये तथा उक्त सभी लोगों से फार्म भरने के लिए तीन तीन सौ रूपये लिया। मुन्ना उर्फ महेश व कमला देवी ने रूपया लेने के पूर्व कहा था कि यदि नौकरी नहीं दिला पायेंगे तो रूपया वापस करेंगे, उक्त लोगों ने किसी भी व्यक्ति को नौकरी नहीं दिलाया तब वह लोग उक्त लोगों के निवास स्थान पर मिले तो बताया कि रूपया निजी काम में लगा दिया है व परिवार के राजीव शुक्ला की बीमारी में रूपया खर्च हो गया है इसलिए सभी लोगों का रूपया छः माह के अन्दर चुका देंगे तथा महेश उर्फ मुन्ना शुक्ला ने दिनांक 27.05.2017 को सौ रूपये की नोटरी स्टाम्प में लिखा पढ़ी भी किया लेकिन आज तक किसी भी व्यक्ति को रूपया वापस नहीं किया। उक्त लोगों ने सभी के साथ छल व धोखा करके नौकरी दिलाने के बहाने रूपया हड़प लिया है।

उक्त प्रार्थनापत्र पर विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 27.01.2018 के अनुपालन में सम्बन्धित थाने पर मुकदमा अपराध संख्या 56 सन 2018 अन्तर्गत धारा 420, 406 भारतीय दण्ड संहिता पंजीकृत कर प्रकरण की विवेचना प्रारम्भ की गयी।

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) व वादी मुकदमा के विद्वान निजी अधिवक्ता की बहस सुना तथा केस डायरी आदि अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक अवलोकन किया।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क रखा है कि आवेदक निर्दोष है, उसे इस मामले में रंजिशन झूंठा फंसाया गया है। आवेदक ने वादी या किसी अन्य से नौकरी लगवाने के नाम से किसी प्रकार की कोई धन उगाही नहीं किया है वादी आवेदक का मुंहबोला मामा है और कानपुर आने पर आवेदक के घर रूकता था तथा दिनांक 24.05.2017 को वादी आवेदक के घर आया एवं बैंक से लोन लेने की बात कहकर गारण्टर बनने के लिए सौ रूपये के स्टाम्प व कुछ सादे कागज पर निशानी अगूंठा बनवा लिये एवं दो फोटो ले ली एवं आवश्यकता पड़ने पर बुलाने के लिए कहा तथा आवेदक ने वादी से जानकारी की तो बताया कि काम हो गया है, उसकी आवश्यकता नहीं है और इसके बाद दिनांक 21.01.2019 को पुलिस आवेदक के घर

आयी एवं कुछ सादे कागजों पर हस्ताक्षर बनाने का दबाव डाला तो आवेदक ने जानकारी चाही तो बताया कि उसके विरूद्ध वादी रामविलास ने मुकदमा पंजीकृत कराया है, तब आवेदक उसी दिन थाना बर्रा जाकर शिकायत किया किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई तब उसने उच्चाधिकारियों को प्रार्थनापत्र दिये और कोई कार्यवाही नहीं हुई। प्राथमिकी दो वर्ष छः माह विलम्ब से अंकित करायी गयी है जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। प्राथमिकी में कथित घटना का कोई चश्मदीद साक्षी नहीं है। वादी ने प्राथमिकी व शपथपत्र में घटना की अलग अलग तिथि अंकित किया है और जिन लोगों द्वारा नौकरी लगवाने हेतु आवेदक को रूपये देना बताया है, उक्त किसी व्यक्ति ने प्राथमिकी अंकित नहीं करवायी है। साक्षीगण के बयान में गम्भीर विरोधाभास है। वादी ने स्वयं नौकरी का बहाना बताकर धन उगाही किया एवं आवेदक को ब्लैकमेल करके झूंठा फंसाया है। प्रकरण में आरोपपत्र प्रस्तुत हो चुका है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक/अभियुक्त अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने योग्य है।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) ने जमानत का घोर विरोध करते हुए यह तर्क रखा है कि आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा के पुत्रों को शिक्षा विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर वादी मुकदमा के पुत्र व दामाद सहित अनेक लोगों से पैसा लिया और उसे अपने निजी कार्य में खर्च कर दिया तथा न तो नौकरी दिलायी और न ही पैसा वापस किया। आवेदक/अभियुक्त व वादी के मध्य रूपये के लेनदेन को लेकर इकरारनामा भी निष्पादित हुआ। विवेचक द्वारा विवेचना के दौरान आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य संकलित की गयी एवं विवेचना की कार्यवाही के उपरान्त आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। आवेदक/अभियुक्त आरोपपत्र प्रस्तुत होने के उपरान्त जानबूझकर न्यायालय उपस्थित नहीं हुआ जिससे प्रकरण का विचारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ जबकि प्रकरण की घटना वर्ष 205 की है और विचारण न्यायालय द्वारा आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध गैर जमानतीय अधिपत्र भी जारी किया गया जिसके उपरान्त अब इस स्तर पर आवेदक/अभियुक्त की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। आवेदक/अभियुक्त अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने योग्य नहीं है।

आवेदक/अभियुक्त पर यह आरोप है कि उसने वादी व अन्य से नौकरी दिलाने हेतु पैसा लिया किन्तु नौकरी नहीं दिलायी और न ही पैसा वापस किया। अभियोजन प्रपत्रों के अनुसार आवेदक/अभियुक्त प्राथमिकी में नामित है। अभियोजन प्रपत्रों के अनुसार विवेचक द्वारा आवेदक/अभियुक्त द्वारा समक्ष गवाहान रामविशाल

एवं रामशंकर के निष्पादित इकरारनामा की प्रति एवं वादी मुकदमा व आवेदक/अभियुक्त के मध्य उक्त रूपयों के लेनदेन के सम्बन्ध में हुई वार्ता की रिकार्डिंग आदि संकलित कर केस डायरी के साथ संलग्न की गयी। अभियोजन प्रपत्रों के अनुसार वादी मुकदमा सहित अन्य गवाहान/पीडित ने विवेचक को दिये गये बयान में आवेदक/अभियुक्त को पैसा देने का कथन किया है तथा विवेचक द्वारा विवेचना की कार्यवाही के उपरान्त आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है। अभियोजन पक्ष का कथन है कि प्रस्तुत प्रकरण वादी मुकदमा के पुत्र व दामाद सहित अन्य अनेक लोगों से लगभग पॉच लाख रूपये लेने का है और प्रस्तुत प्रकरण में विवेचक द्वारा दिनांक 25.11.2019 को आरोपपत्र प्रस्तुत किया गया किन्तु आवेदक/अभियुक्त जानबूझकर न्यायालय उपस्थित नहीं हुआ जिससे प्रकरण का विचारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ। उनकी ओर से यह भी कथन किया गया कि आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध विचारणीय न्यायालय द्वारा गैर जमानतीय अधिपत्र जारी किया गया तब इस स्तर पर आवेदक/अभियुक्त की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है।

मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, केस की गम्भीरता, अपराध कारित करने में आवेदक/अभियुक्त की संलिप्तता/भूमिका, दण्ड की मात्रा को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त विवेचन की पृष्ठभूमि में, मामले के गुण–दोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना, आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकृत किये जाने का पर्याप्त, संतोषजनक व युक्तियुक्त आधार मौजूद नहीं है। तदनुसार अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त मुन्ना उर्फ महेश की ओर से प्रस्तुत उक्त अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक: 13.07.2026

(**सुधीर कुमार– V**)
सत्र न्यायाधीश,
फतेहपुर।

SUDHIR KUMAR
Digitally signed by SUDHIR KUMAR
Date: 2026.07.14 15:19:13 +05'30'